

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक-

प्रिय,

अब्दुर रहमान,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक ।

विषय : सरकारी कार्य से पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन कर्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनको अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था हेतु दर निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कभी-कभी अत्यावश्यक सरकारी कार्यों को निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य पर देर रात तक रुकने की आवश्यकता होती है और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य हो जाता है । इस संबंध में विचारोपरांत पूर्व में वित्त विभाग के पत्रांक-798/वि(2) दिनांक-11.02.09 द्वारा अल्पाहार एवं भोजन के मात्र दर का निर्धारण किया गया था । उल्लेखनीय है कि यह भत्ते की श्रेणी में नहीं आती है और उसके आधार पर पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधा (अल्पाहार/भोजन) की देयता अनिवार्य नहीं हो जाती है । लेकिन ऐसे दृष्टांत पाए गए हैं, यथा-गन्ना उद्योग विभाग द्वारा उसके लिए भत्ते के तर्ज पर पदा०/कर्म० के लिए प्रतिदिन के दर से नगद भुगतान के संबंध में स्वीकृतिदेश निर्गत कर दिया गया है ।

अतएव वित्त विभाग के पत्रांक-798/वि(2) दिनांक-11.02.09 के संबंध में पुनर्विचार करते हुए निम्न बातें स्पष्ट की जाती हैं :-

- (i) पूर्व निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-798/वि(2) दिनांक-11.02.09 (अल्पाहार/भोजन के लिए) मात्र दर निर्धारित करता है, पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सुविधा (अल्पाहार/भोजन) के देयता को अनिवार्य नहीं करता है । उक्त सुविधा विशेष परिस्थिति में कम-से-कम व्यक्तियों को दी जानी है, जो संबंधित कार्यालय प्रधान का प्रशासनिक निर्णय होगा ।

.....कृ०पृ०उ

:: 2 ::

- (ii) अल्पाहार/भोजन के लिए किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जायगा बल्कि उक्त सुविधा वास्तविक सामग्री के रूप में दी जाय ।
- (iii) अल्पाहार/भोजन के लिए कार्यालय व्यय मद में कोई अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा ।

वित्त विभागीय पत्रांक-798/वि(2) दिनांक-11.02.09 को इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अब्दुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं0-एम4-02/09...../वि(2), पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अब्दुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं0-एम4-02/09...../वि(2), पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अब्दुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप सं0-एम4-02/09.....3318...../वि(2), पटना, दिनांक 20/4/09

प्रतिलिपि-वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों(प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ ।

(अब्दुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

20/4